न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 109/2023 तारीख रजू:— 17.07.2023

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. उदयसिंह | पिसरान निहाल सिंह, जातियान जाट
2. वीरसिंह, | निवासी महूखास, तहसील हिण्डौन
3. सुरेन्द्रपाल | जिला—करौली राजस्थान।
4. भगवतीदेवी पत्नि स्व. रामनिवास, जाति जाट, निवासी महूखास, तहसील हिण्डौन, जिला—करौली राजस्थान।
5. याज्ञवेन्द्र पुत्र रामनिवास, उम्र—16 साल नाबालिग संरक्षिका माता स्वयं भगवतीदेवी पत्नि स्व. रामनिवास, जाति जाट, निवासी महूखास, तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान ——————————सायलान

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र चरण, जाति जाट, निवासी महूखास, तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान।
3. उप पंजीयक, तहसील कार्यालय हिण्डौन करौली ——————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट सायलान

2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं01

निर्णय

दिनांक :— 26/11/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में मजबूत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायलान के कब्जाकाश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1147 रकवा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1148 रकवा 1.07 है0 खसरा नम्बर 1150 रकवा 0.02 है0 खसरा नम्बर 135 रकवा 0.13 है0 खसरा नम्बर 242 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 365 रकवा 0.09 है0 खसरा नम्बर 623 रकवा 0.08 है0 खसरा नम्बर 631 रकवा 0.24 है0 खसरा नम्बर 640 रकवा 0.35 है0, खसरा नम्बर 655 रकवा 0.35 है0, खसरा नम्बर 695 रकवा 0.37 है0, खसरा नम्बर 696 रकवा 0.30 है0, खसरा नम्बर 732 रकवा 0.14 है0, खसरा नम्बर 828 रकवा 0.08 है0, खसरा नम्बर 855 रकवा 0.14 है0, कुल किता 15 कुल रकवा 3.72 है0 वाके ग्राम महूखास, तहसील हिण्डौन, जिला करौली में स्थित है, जिसमें सायलान का बहिस्सा 1/2 भाग है तथा गैरसायल संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। जो कि सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 की सम्मिलित सहखातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 की संयुक्त सहखातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है, जिसका सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 ने मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है और संयुक्त रूप से काबिज व दखील होकर मुताबिक वहामी बंटवारे के अपने–आपने हिस्से के अनुरूप काश्त कर भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 के मध्य आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है तथा मनबंटनी के आधार पर सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन विधिवत तकासमा नहीं होने के कारण उनके मध्य फसल काश्त करते समय डौलमेंड आदि को लेकर आपसी तनाजा बना रहता है एवं डौल मेंड आदि को लेकर कहासुनी होती रहती है तथा उक्त आराजीयात कस्बा महूखास में स्थित होने से उसकी कीमत बढ़ जाने से गैरसायल नम्बर 01 के मन में उक्त भूमि को हड़पने की मंशा बनी रहता है और वह येनकेन प्रकारेण उक्त आराजीयात को बिना विधिक बंटवारा कराए हुए बेचान करने पर आमादा रहता है और इसके लिये आये दिन वह सायलान को हैरान व परेशान करता रहता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दष्टया केस बखूबी सामित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 05.07.2023 सुबह करीब 11 बजे का है कि सायलान मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि का विधिवत बंटवारा कराने के लिये गैरसायल नम्बर 01 से कहा कि हमारी संयुक्त सम्मिलित खातेदारी की भूमि है, जिसमें संयुक्त रूप से काश्त करना सम्भव नहीं है, हमेशा डौल मेंड और रकवा पर कहासुनी होती है, इसलिये उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा कर लेते हैं। इस बात से गैरसायल नम्बर 01 एकदम नाराज हो गया और सायलान के साथ झगडा करने पर आमादा हो गया, हाय–हल्ला सुनकर पडौसियान व गांव के लोग आ गये, जिन्होंने एवं अजहुद वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 01 को काफी समझाया, परन्तु उसने किसी की भी नहीं मानी, बल्कि ऐलानिया धमकी दी कि मैं किसी भी सूरत में उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा नहीं कराउंगा और बिना विधिवत बंटवारा कराए ही तुम्हारे हिस्से सहित उक्त भूमि को दीगर लठैत व्यक्तियों को रहनव्यय कर दूंगा तथा तुम्हें तुम्हारे हिस्से से बेदखल कर उस पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर लूंगा और आइंदा मुझसे विधिवत बंटवारा कराने के लिये कहा तो मैं तुम्हारे हाथ–पैर तोड दूंगा तथा भूमि पर प्लाटिंग कर दीगर लोगों को विक्रय कर दूंगा, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर दूंगा, सायलान ने गैरसायल नम्बर 01 को काफी समझाने का प्रयास किया और विधिवत तकास्मा कराने के लिये कहा, मगर मानने को तैयार नहीं हुआ और बंटवारा कराने से इनकार कर दिया। अगर गैरसायल नम्बर 01 अपने नापक इरादे में कामयाब हो गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से दृव्य से सम्भव नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने दावा गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द परमाया जावे कि वे आराजीयात खसरा नम्बर 1147 रकवा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1148 रकवा 1.07 है0 खसरा नम्बर 1150 रकवा 0.02 है0 खसरा नम्बर 135 रकवा 0.13 है0 खसरा नम्बर 242 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 365 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 623 रकवा 0.08 है0, खसरा नम्बर 631 रकवा 0.24 है0, खसरा नम्बर 640 रकवा 0.35 है0, खसरा नम्बर 655 रकवा 0.35 है0, खसरा नम्बर 695 रकवा 0.37 है0, खसरा नम्बर 696 रकवा 0.30 है0, खसरा नम्बर 732 रकवा 0.14 है0, खसरा नम्बर 828 रकवा 0.08 है0, खसरा नम्बर 855 रकवा 0.14 है0, कुल किता 15 कुल रकवा 3.72 है0 वाके ग्राम महूखास, तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली में से सायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि से उन्हें जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल नहीं करें और ना किसी अन्य से करावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे उक्त आराजीयात में सायलान के हकहकूकों व विधिक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अधिकारों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें तथा दीगर लोगों को कोई प्लाटिंग कर विक्रय नहीं करें और ना ही उसे रहनव्यय स्वयं करें और ना किसी अन्य से करावें और सायलान को उनकी संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं01 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र गलत है, अस्वीकार है। उक्त प्रकरण सायलान की ओर से एकदम झूंठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसमें सायलान की सफलता की कोई संभावना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 03 प्रार्थना पत्र गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 04 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 04 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि मद नम्बर 05 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 05.07.2023 को वादपत्र में वर्णित कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, और ना ही प्रतिवादी का वादीगण से कोई वार्तालाप किसी प्रकार से हुआ है। वादीगण के हक में सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू किसी भी प्रकार से साबित नही है।

विशेष विवरण :—

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सम्पत्ति विवादग्रस्त में सायलान एवं गैरसायल का कब्जा है तथा सायलान एवं गैरसायल के मध्य बाह्यमी बटवारा किया है, फिर भी सायलान उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराना चाहते है जिसमें गैरसायल की कोई सहमति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि सायलान स्वच्छ हस्त से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है इसलिये प्रार्थनापत्र सायलान खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाने के आदेश करने की कृपा करें।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1147 रकवा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1148 रकवा 1.07 है0, खसरा नम्बर 1150 रकवा 0.02 है0, खसरा नम्बर 135 रकवा 0.13 है0, खसरा नम्बर 242 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 365 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 623 रकवा 0.08 है0 खसरा नम्बर 631 रकवा 0.24 है0, खसरा नम्बर 640 रकवा 0.35 है0, खसरा नम्बर 655 रकवा 0.35 है0, खसरा नम्बर 695 रकवा 0.37 है0, खसरा नम्बर 696 रकवा 0.30 है0, खसरा नम्बर 732 रकवा 0.14 है0, खसरा नम्बर 828 रकवा 0.08 है0, खसरा नम्बर 855 रकवा 0.14 है0 कुल किता 15 कुल रकवा 3.72 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी उदयसिंह पुत्र निहालसिंह हि0 3/28, भगवानसिंह पुत्र चरण हि0 1/2, रामनिवास पुत्र निहालसिंह हि0 1/8, वीरसिंह पुत्र निहालसिंह हि0 1/8, सुरेन्द्रपाल पुत्र निहालसिंह हि0 1/7 जातियान जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1147 रकवा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1148 रकवा 1.07 है0, खसरा नम्बर 1150 रकवा 0.02 है0, खसरा नम्बर 135 रकवा 0.13 है0, खसरा नम्बर 242 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 365 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 623 रकवा 0.08 है0 खसरा नम्बर 631 रकवा 0.24 है0, खसरा नम्बर 640 रकवा 0.35 है0, खसरा नम्बर 655 रकवा 0.35 है0, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

695 रकवा 0.37 है0, खसरा नम्बर 696 रकवा 0.30 है0, खसरा नम्बर 732 रकवा 0.14 है0, खसरा नम्बर 828 रकवा 0.08 है0, खसरा नम्बर 855 रकवा 0.14 है0 कुल किता 15 कुल रकवा 3.72 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में सायल सं0 1,2,3 तथा सायल सं0 4 के पति एवं सायल सं05 के पिता रामनिवास एवं गैरसायल सं01 मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है। सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1147 रकवा 0.27 है0, 1148 रकवा 1.07 है0, 1150 रकवा 0.02 है0, 135 रकवा 0.13 है0, 242 रकवा 0.09 है0, 365 रकवा 0.09 है0, 623 रकवा 0.08 है0, 631 रकवा 0.24 है0, 640 रकवा 0.35 है0, 655 रकवा 0.35 है0, 695 रकवा 0.37 है0, 696 रकवा 0.30 है0, 732 रकवा 0.14 है0, 828 रकवा 0.08 है0, 855 रकवा 0.14 है0 कुल किता 15 कुल रकवा 3.72 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली